(55)
(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 828–पीबीआर/2001, विरूद्ध आदेश दिनांक 16–03–2001 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 209/ निगरानी/1985–86

....

बैजनाथ पुत्र बंशी कुर्मी
निवासी–ग्राम बसवाहा तहसील दतिया
जिला–दतिया

.... आवेदक

विरूद्ध

1– मनीराम
2– रामप्रसाद, पुत्रगण पिल्ले
3– रामदास पुत्र मजन
4– कृष्णप्रकाश पुत्र चन्द्रप्रकाश
निवासी–ग्राम जरियाई तहसील चिरगांव
जिला–झांसी (उ0प्र0)
5– खुशीराम
6– श्यामलाल, पुत्रगण लालाराम
निवासी–ग्राम बसवाहा तहसील दतिया
जिला–दतिया
7– रामप्यारी पत्नी प्यारेलाल
8– सावित्री पत्नी खुदे
निवासीगण–ग्राम जरियाई तहसील चिरगांव
जिला–झांसी (उ0प्र0)

.... अनावेदकगण

.....

श्री, एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/1/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–03–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बसवाहा के सर्वे क्र0 1568 हाल0 नं0 325 रकबा 5.04 एकड़ पर आवेदक द्वारा नामांतरण कराने के लिए एक आवेदन पत्र, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 09.07.74 स्वीकार करते हुये नामांतरण आदेश पारित कर दिया। आवेदक के हित में नामांतरण आदेश का क्रियान्वयन राजस्व अभिलेखों में नहीं किया । इसी कारणवश आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार ने प्र0क्र0 275/बी–121/83–84 पंजीबद्ध कर, आवेदक के नामांतरण का क्रियान्वयन आदेश दिनांक 28.11.83 को पारित किया । नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण का क्रियान्वयन आदेश दिनांक 28.11.83 के विरूद्ध में अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश की गई । न्यायालय कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 21.03.85 द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया । कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.85 के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेश निरस्त करते हुये, पारित आदेश दिनांक 16.03.2001 से प्रकरण पुनः नायब तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक

16.03.2001 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अनावेदक 1 से 3 के पूर्वाधिकारी मगन(भजन) ने दिनांक 04.05.1996 को पंजीकृत विक्रय पत्र अनावेदक –4 कृष्णप्रकाश के हित में संपादित किया था प्रथम तर्क यह है कि उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिये अनावेदक 1 से 3 ने आज तक कोई वैधानिक कार्यवाही सक्षम न्यायालय में नहीं की है पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त अथवा अवैध घोषित करने का विचाराधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अनावेदक क्र0 4 ने पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गयी भूमि दिनांक 11.07.1967 को आवेदक को विक्रय की इस विक्रय पत्र को भी सक्षम व्यवहार न्यायालय में आज तक चुनौती नहीं दी गयी । भूमि का प्रथम विक्रय जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति ने अपनी जीवनकाल में विक्रय पत्र को अथवा क्रेताओं के आधिपत्य को कभी प्रश्नगत नहीं किया न ही कभी कोई आपत्ति किसी न्यायालय में की । मूल भूमि स्वामी विक्रेता मगन की मृत्यु के पश्चात अनावेदक 1 से 3 ने अत्यन्त समयावाधित विवाद उत्पन्न किया है तथा नामांतरण के आदेश के विरूद्ध कोई अपील न प्रस्तुत करते हुये कलेक्टर के समक्ष नामांतरण आदेश का अमल किये जाने के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण की कार्यवाही की जो किसी भी दशा में विधिवत कार्यवाही नहीं कही जा सकती थी । लिखित तर्क में यह भी कहा गया है कि कलेक्टर ने पुनरीक्षण में यह निर्देश दिये कि अनुविभागीय अधिकारी अनावेदकों की शिकायत को अपील के रूप में दर्ज कर कार्यवाही करें यह निर्देश भी अवैध निर्देश थे किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील के लिये संहिता की धारा–44 में प्रावधान है यदि कोई व्यक्ति किसी आदेश से परिवेदित है तब उसे धारा 44 के अंतर्गत विधिवत अपील प्रस्तुत करना आवश्यक है विधि के प्रावधान को कलेक्टर के आदेश से व्यर्थ नहीं किया जा सकता अपील प्रस्तुत होने पर दूसरे पक्ष को सुनकर अपील का निराकरण किया जाना विधिसम्मत प्रक्रिया है जिसे किसी निर्देश से परिवेदित नहीं किया जा सकता । अपर

आयुक्त ने अपने विचाराधिकार तथा उनके समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण से पृथक जाकर जो आदेश पारित किया है वह भी अवैध तथा विचाराधिकार रहित है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में यह भी बताया कि यदि किसी न्यायालय की पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही है तब प्रथमतः उस पत्रावली की गहनता से तलाशी किया जाना चाहिये अथवा उस प्रकरण के पक्षकारों से पक्षकारों के पास उपलब्ध दस्तावेज लेकर पत्रावली का पुर्नगठन कर प्रकरण का निराकरण करना वैधानिक प्रक्रिया है । इसका उल्लंघन कर उस प्रकरण में की गयी कार्यवाही को मनमाने तौर पर व्यर्थ नहीं किया जा सकता । अपर आयुक्त ने अपने आदेश के पद 5 में केवल शंका तथा बिना किसी ठोस आधार एवं कारण के मात्र संभावना के आधार पर विवादित आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अपने आदेश में "रजिस्ट्री" नहीं है " बयनामा" है अतः नामांतरण नहीं किया जा सकता । इस आधार पर अनावेदक 1 से 3 के पक्ष में आदेश पारित किया था रजिस्ट्री एवं बयनामा में क्या अंतर है । इस पर कलेक्टर ने अपने आदेश में कोई विवेचना नहीं की थी ऐसे आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने भूल की है । आवेदक का तर्क है कि आवेदक को सम्पति का अंतरण रजिस्ट्री द्वारा ही किया गया है । रजिस्ट्री को ही बयनामा कहते है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा कलेक्टर दतिया द्वारा पारित आदेश तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायासंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । तहसील का प्रकरण क्रं0 275/83–84/बी–121 भी उपलब्ध हो जाने में उसका भी अवलोकन किया गया । तहसीलदार का उक्त

प्रकरण आवेदक के इस आवेदन से कि नामांतरण पंजी क्रं0 89 आदेश दिनांक 09.07.1974 का पालन नहीं हुआ है पर प्रारम्भ हुआ । लेकिन आवेदन के साथ आवेदक ने मात्र छायाप्रतियां ही पेश की है, प्रमाणित प्रतिलिपियां नहीं । वर्ष 1974 तथा आवेदन दिनांक 08.11.83 के बीच में भू–अभिलेख में सम्बंधित भूमि पर क्या परिवर्तन नामांतरण हुए इसकी पुष्टी में कोई अद्यतन खसरा भी प्रस्तुत नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में खसरे में नाम प्रविष्टि का कोई भी आदेश बिना सम्बन्धित/ प्रभावित पक्षों को सुने बिना दिया जाना वैधानिक नहीं माना जा सकता तथा तहसीलदार की उक्त कार्यवाही मात्र आदेशों का अमल (जो कि पटवारी स्तर पर होता है) नहीं मानी जाकर नामांतरण ही मानी जायेगी । अतः अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में सभी पक्षों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने के लिए प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का आदेश पूरी तरह से न्यायोचित तथा वैधानिक है तथा उनमें इस निगरानी में परिवर्तन के कोई आधार नहीं है । अतः यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर